

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 272/1991

सुवालाल पिता गोपी, निवासी अंबापुरा, थाना मलपुरा, वर्तमान बावड़ी, थाना टोडारायसिंह, जिला टोंक।

----अपीलकर्ता

बनाम

राज्य राजस्थान

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए	:	सुश्री अंजुम परवीन
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री सुरेश कुमार, पीपी

माननीय श्री जस्टिस अनूप कुमार ढांड
निर्णय

13/05/2024

रिपोर्टेबल

1. अपीलकर्ता ने सत्र न्यायाधीश, टोंक द्वारा सत्र वाद संख्या 20/1991 में पारित दिनांक 03.07.1991 के निर्णय को चुनौती दी है जिसके द्वारा उसे धारा 376/511 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है और 3 वर्ष 6 महीने के कठोर कारावास

और 100 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और ऐसा न करने पर 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स:

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि 09.03.1991 को परिवादी-जुवारा (पीडब्ल्यू-3) ने पुलिस थाना टोडारायसिंह, जिला टोंक पर शिकायत (प्रदर्श/पी-2) दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उसकी नातिन "डी" (उम्र करीब 6 वर्ष) धर्मशाला के पास प्याऊ (पानी की टंकी) पर पानी पी रही थी, तभी आरोपी करीब 8:00 बजे रात को आया और जबरन उसे धर्मशाला के अंदर ले गया, जहाँ उसने बलात्कार करने का प्रयास किया। जब लड़की ने शोर मचाया, तो गाँववाले वहाँ पहुँच गए और उसे बचा लिया, अन्यथा आरोपी उसके साथ बलात्कार कर सकता था। जब लड़की ने शोर मचाया, तो गाँव वाले वहाँ आ गए और उसे बचा लिया, नहीं तो आरोपी उसके साथ बलात्कार कर सकता था। इस रिपोर्ट पर, एक अपराध रिपोर्ट क्रमांक 40/1991 (प्रदर्श-पी3) पुलिस थाना टोडारायसिंह, जिला टोंक में धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई। जांच के बाद, उपरोक्त अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की गई और इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त अपराध में अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप तय किए, जिसमें अपीलकर्ता ने स्वयं को दोषी नहीं माना और मुकदमे की मांग की।

3. मुकदमे की कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाहों का परीक्षण किया और 5 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। इसके पश्चात अपीलकर्ता के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए।

4. मुकदमे की समाप्ति पर, माननीय ट्रायल जज ने दिनांक 03.07.1991 का निर्णय पारित करते हुए उपरोक्त अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया तथा दंडित किया। अतः यह आपराधिक अपील दायर की गई है।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ:

5. अपीलकर्ता के पक्षकार अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को देखते हुए, अभियोजिका 'डी'(पीडब्ल्यू-2) द्वारा दिए गए कथनों के अनुसार, धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के विरुद्ध केवल यही आरोप है कि उसने अभियोजिका का अंडरगारमेंट उतार दिया था और स्वयं भी कपड़े उतार दिए थे। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के विरुद्ध बलात्कार के प्रयास का कोई आरोप नहीं है और घटना से सम्बन्धित कोई पुष्टिकरणात्मक चिकित्सकीय साक्ष्य भी नहीं है, जो अपीलकर्ता को आरोपित घटना से जोड़ सके। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त अपराध में अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में त्रुटि की है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में, इस

न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी किया जाना चाहिए।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ:

6. विपरीत पक्ष में, माननीय लोक अभियोजक ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अभियोजिका 'डी'(पीडब्ल्यू-2) के बयानों के अनुसार अपीलकर्ता के विरुद्ध यह विशेष आरोप है कि उसने अभियोजिका का अंडरवियर उतार दिया और स्वयं भी कपड़े उतार दिए। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब अभियोजिका 'डी'(पीडब्ल्यू-2) के बयान दर्ज किए गए, उस समय अपीलकर्ता द्वारा उक्त गवाह से कोई जिरह नहीं की गई। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में बलात्कार के प्रयास का अपराध सिद्ध हो गया है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध समग्र साक्ष्यों को देखते हुए, माननीय ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

विश्लेषण एवं चर्चा:

7. न्यायालय ने बार में प्रस्तुत तर्कों को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

8. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि एफआईआर (प्रदर्श-पी3) अभियोजिका 'डी'के दादा अर्थात् पीडब्ल्यू-3 जुवारा की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसमें अपीलकर्ता पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने जबरन अभियोजिका 'डी'को धर्मशाला के अंदर ले जाकर घटना को अंजाम देने का प्रयास किया और जब अभियोजिका 'डी' ने शोर मचाया तो ग्रामवासी वहाँ इकट्ठा हो गए और उसे बचा लिया। इसी प्रकार का बयान इस गवाह द्वारा भी परीक्षण के दौरान अपने कथनों में दिया गया है।

9. संपूर्ण अभियोजन पक्ष का मामला अभियोजिका 'डी'(पीडब्ल्यू-2) की एकमात्र गवाही पर आधारित है, जिसके साथ यह घटना घटित हुई थी। इस न्यायालय ने इस गवाह के बयान का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है, जिसने परीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से यह बयान दिया कि जब वह तालाब के पास 'बनिया' परिवार की शादी की बारात देखने गई थी, तभी आरोपी वहाँ आया और उसे धर्मशाला के अंदर ले गया तथा उसका अंडरवियर उतार दिया और खुद भी वस्त्र उतार दिए। और जब उसने शोर मचाया, आरोपी वहाँ से भाग गया।

10. यह उल्लेख करना उचित है कि इस गवाह के परीक्षण के दौरान अपीलकर्ता द्वारा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया, अर्थात् आरोपी ने मुख्य परीक्षण में दर्ज गवाही को स्वीकार कर लिया। अब इस न्यायालय के समक्ष विचार का विषय यह है कि

क्या धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध होता है या नहीं।

11. बलात्कार के प्रयास के अपराध में अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि वह तैयारी के चरण से आगे निकल चुका है। केवल तैयारी और वास्तव में अपराध का प्रयास करने के बीच का अंतर मुख्यतः अधिक स्पष्ट निर्धारण में निहित है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मदन लाल बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एआईआर 1998 एससी 386** के मामले में व्याख्यायित किया है। अनुच्छेद 12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं:-

“के किसी अपराध की तैयारी और प्रयास के बीच का अंतर मुख्यतः दृढ़ संकल्प की अधिक मात्रा में होता है और बलात्कार के प्रयास के अपराध को साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त तैयारी की अवस्था से आगे निकल गया हो।”

12. प्रश्न यह है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, क्या धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध सिद्ध किया जा सकता है या नहीं और क्या ये तथ्य धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का मामला बनाते हैं या नहीं?

13. "प्रयास" क्या होता है, यह कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है, जो काफी हद तक विशेष मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। "प्रयास" एक सटीक और निश्चित परिभाषा प्रदान करता है। व्यापक रूप से देखा जाए, तो सभी अपराध जिनमें सकारात्मक कृत्य किए जाते हैं, वे किसी छिपे या खुले आचरण से पूर्व होते हैं, जिन्हें तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण तब होता है जब अपराधी सबसे पहले अपराध करने का विचार या इरादा रखता है। दूसरे चरण में वह उस अपराध को करने की तैयारी करता है। तीसरा चरण तब आता है जब अपराधी अपराध करने हेतु जानबूझकर कोई स्पष्ट कदम उठाता है। ऐसा स्पष्ट कार्य या कदम "अपराधिक" होना आवश्यक नहीं है, यह पर्याप्त है यदि ऐसा कार्य या कृत्य जानबूझकर किया गया हो और उसमें दोषी का अपराध करने का स्पष्ट इरादा झलकता हो, तथा वह अपराध की पूर्ति के जितना संभव हो सके करीब हो।

"प्रयास" माने जाने के लिए, सबसे पहले, किसी विशेष अपराध को करने का इरादा होना चाहिए; दूसरा, कोई ऐसा कार्य किया गया होगा जो अनिवार्य रूप से अपराध के लिए किया गया हो और तीसरा, ऐसा कार्य इच्छित परिणाम के "निकट" होना चाहिए। निकटता का माप समय और क्रिया के संबंध में नहीं, बल्कि अपराध करने के इरादे के संबंध में है। दूसरे शब्दों में, कार्य को, अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के साथ, और आवश्यक रूप से अलग से नहीं, उचित

निश्चितता के साथ, उस विशेष अपराध को करने के इरादे को प्रकट करना चाहिए, जो केवल इच्छा या उद्देश्य से अलग हो, हालाँकि कार्य अपने आप में केवल ऐसे इरादे का संकेत या संकेत हो सकता है, लेकिन यह होना चाहिए, अर्थात्, यह इरादे का संकेत या संकेत होना चाहिए।

14. रेक्स बनाम लॉयड के मामले में (1836) 7 सी एंड पी 318 में रिपोर्ट की गई, लॉर्ड पैटरसन, जे. ने इस बिंदु पर: क्या अभियुक्त का कृत्य बलात्कार करने के प्रयास के बराबर था, संक्षेप में निम्नानुसार माना:-

“किसी आरोपी को बलात्कार के इरादे से जानबूझकर हमला करने का दोषी मानने के लिए, आपको यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि अभियुक्त ने जब अभियोजिका को पकड़ा, तो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि उसने यह करने का संकल्प पूरी दृढ़ता और अभियोजिका के किसी भी विरोध के बावजूद बनाया था। हमारा मानना है कि इस देश में अश्लील हमले अक्सर बलात्कार के प्रयास के रूप में और कई बार सीधे-सीधे बलात्कार में बदल कर देखे जाते हैं; और हमारा विचार है कि बलात्कार के प्रयास के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए, जब तक न्यायालय यह न मान ले कि आरोपी की कार्रवाई किसी भी स्थिति में, सारे विरोध के बावजूद अपनी इच्छाओं की पूर्ति की स्पष्ट इच्छा और निर्णय दिखाती है। वर्तमान मामले में, चिकित्सकीय साक्ष्य और परिवादी द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर दिए गए बयानों को देखते हुए, हम इस बयान पर पूरी तरह निर्भर रहना असंभव मानते हैं; जिस हिंसा को वह बताती है, उसके संबंध में कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, सिवाय उसके खुद के बयान के। सेशंस कोर्ट ने भी यह विश्वास नहीं

किया कि संभोग की घटना हुई थी और इस कारण उसने अभियुक्त को बलात्कार के अपराध में दोषी नहीं ठहराया। हम भी शिकायतकर्ता के अप्रमाणित बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने में संकोच करते हैं कि अभियुक्त की कार्रवाई बलात्कार करने के प्रयास का मामला बनती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त बीच में ही रुक गया, जब उसे रोका गया; और ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ कि शिकायतकर्ता के शरीर पर कोई हिंसा का निशान था (जबकि सिविल सर्जन की रिपोर्ट भी इसके विपरीत है), और न ही शिकायतकर्ता या अभियुक्त के कपड़ों पर कोई दाग थे, जिससे यह संकेत मिले कि अभियुक्त की आपराधिकता किस हद तक पहुँची थी।”

उस मामले में दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत की गई थी।

15. बलात्कार का प्रयास करने और अश्लील हमला करने के प्रयास के बीच का अंतर कभी-कभी बहुत सूक्ष्म होता है। पहले के लिए, आरोपी द्वारा ऐसा कोई कार्य होना चाहिए जो यह दिखाए कि वह अभियोजिका के साथ यौन संबंध स्थापित करने ही जा रहा है। बलात्कार के प्रयास के अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि वह तैयारी की अवस्था से आगे बढ़ चुका है। केवल तैयारी और वास्तव में अपराध के प्रयास के बीच का अंतर मुख्यतः अधिक पुख्ता निर्धारण में निहित है।

16. इस न्यायालय ने सिट्टू बनाम राज्य राजस्थान ए आई आर (राज.) 1967 (3) 149 के मामले में, जब धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध

का मामला पाया गया या नहीं, का निर्णय किया, तो यह माना कि जब लड़की को जबरन नग्न किया गया, आरोपी ने उसके कठोर विरोध के बावजूद अपने जननांग को उसके गुप्तांगों में प्रवेश कराने का प्रयास किया, तो यह बलात्कार करने का प्रयास माना जायेगा, मात्र अश्लील हमला नहीं।

17. दमोधर बेहेरा बनाम राज्य ओडिशा **1996** सीआरएलआर **346** के मामले में, ओडिशा उच्च न्यायालय ने यह माना है कि जहाँ किसी व्यक्ति पर पीड़िता की साड़ी उतारने का आरोप है और वह कुछ लोगों को देख कर भाग गया, तथा यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि आरोपी यौन संबंध बनाने के लिए पूर्ण रूप से इच्छुक था, उन सभी परिस्थितियों में, इस अपराध को बलात्कार करने के प्रयास के रूप में धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के तहत नहीं माना जा सकता, बल्कि यह मामला निश्चित रूप से किसी महिला पर अश्लील हमला का ही है।

18. धारा 376 और 511 भारतीय दंड संहिता दोनों के प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि, बलात्कार के प्रयास का अपराध सिद्ध तब होगा यदि सभी तथ्यों में धारा 375 भारतीय दंड संहिता की परिभाषा के अंतर्गत कोई कार्य किया गया हो। अभियोजिका 'डी' (पीडब्ल्यू-2) के पूरे कथन का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है, जैसा कि धारा 375 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। लेकिन यह तथ्य देखते हुए कि अपीलकर्ता

के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि उसने अभियोजिका 'डी'का अंडरवियर उतार दिया और स्वयं भी कपड़े उतार दिए, निश्चित रूप से अपीलकर्ता का ऐसा कार्य धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध नहीं बनता।

निष्कर्ष:

19. मेरे विचार में, इन तथ्यों से भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त अपीलकर्ता को बलात्कार के प्रयास का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन पक्ष अभियोजिका 'डी'(पीडब्ल्यू-2) पर हमला या अवैध बल प्रयोग के मामले को सिद्ध करने में सफल रहा है, जिसमें उसकी मर्यादा को ठेस पहुँचाने का इरादा या यह ज्ञात था कि उसकी मर्यादा को ठेस पहुँच सकती है। अतः, यह धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत स्पष्ट मामला है, क्योंकि वर्तमान अभियुक्त का कार्य तैयारी की अवस्था से आगे नहीं बढ़ा है।

20. तदनुसार, अभियुक्त अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता से बदलकर धारा 354 भारतीय दंड संहिता किया जाता है, तथा माननीय सेशन न्यायाधीश, टोंक के निष्कर्षों को बदलते हुए अभियुक्त को धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया जाता है, न कि धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के तहत।

दंड पर:

21. आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त को दंडित करना एक अत्यंत संवेदनशील कार्य है और यह केवल औपचारिक या यंत्रवत आदेश नहीं होता।

22. वर्तमान मामले में, इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि घटना के दिन अभियुक्त की आयु 25 वर्ष से कम थी। ट्रायल कोर्ट के अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पीसी/जेसी में 12.03.1991 से 16.04.1991 तक रहा, इसके पश्चात पुनः जेल भेजा गया, जब माननीय सेशन न्यायाधीश द्वारा धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्धि की गई। उसे 03.07.1991 को ट्रायल कोर्ट द्वारा दंडित किया गया और 07.08.1991 को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया। अतः वह 03.07.1991 से 07.08.1991 तक जेल में रहा और कुल मिलाकर लगभग 2½ माह तक जेल में रहा।

23. निम्नलिखित कारणों की दृष्टि से, अभियुक्त अपीलकर्ता को दी गई कारावास की सजा केवल उसकी पूर्व में भुगती गई अवधि तक सीमित की जाती है, जो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करती है:

(i) जिस समय धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध किया गया, अभियुक्त की आयु 25 वर्ष से कम थी।

(ii) घटना 09.03.1991 को हुई और लगभग 33 वर्ष बीत चुके हैं, जो मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से किसी को भी पूरी तरह थका देने के लिए पर्याप्त है।

(iii) वह जांच, मुकदमे और अपील के दौरान लगभग 2½ माह तक जेल में रहा है।

(iv) धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के इतने लंबे समय बाद अभियुक्त को अब फिर से जेल भेजना उचित नहीं है और यह न्यायालय अभियुक्त अपीलकर्ता को पुनः हिरासत में भेजना उचित नहीं मानता।

24. परिणामस्वरूप, अभियुक्त अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से इस प्रकार स्वीकृत की जाती है:

न्यायिक निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.07.1991, जिसे माननीय सेशन न्यायाधीश, टोंक द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा अभियुक्त अपीलकर्ता को धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया था, उस सीमा तक परिवर्तित किया जाता है कि धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता के अपराध के स्थान पर उसे धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और माननीय सेशन न्यायाधीश, टोंक की निष्कर्ष भी तदनुसार परिवर्तित किये जाते हैं। तथापि, धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत, अभियुक्त अपीलकर्ता को उसकी पूर्व में गुजारी गई अवधि के आधार पर सजा दी जाती है। दिनांक 03.07.1991 का सजा आदेश, जो माननीय सेशन न्यायाधीश, टोंक द्वारा पारित किया गया था, तदनुसार संशोधित किया जाता है।

25. भारतीय दंड संहिता की धारा 437 ए में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से तीन माह की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष ₹50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र और इसी राशि का एक जमानती प्रस्तुत करे। यह धारा 437-ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत है, ताकि यदि इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत की जाए, तो यह शर्त रहेगी कि अपीलकर्ता को किसी आपराधिक अपील या विशेष अनुमति याचिका की सूचना प्राप्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त बंधपत्र छह माह तक प्रभावी रहेगा।

26. ट्रायल कोर्ट के अभिलेख तत्काल वापस भेजे जाएं।

(अनूप कुमार ढांड), जे

दीक्षा/2

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate